भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2589

(जिसका उत्तर शुक्रवार, 17 मार्च, 2017/26 फाल्गुन, 1938 (शक) को दिया गया)

<u>कंपनी अधिनियम में संशोधन</u>

2589. श्री रोड़मल नागर :

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार कंपनियों की स्थापना करने के लिए कंपनी अधिनियमों में संशोधन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इनमें कब तक संशोधन किए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (ग): कंपनी अधिनियम, 2013 में कंपनी (संशोधन) विधेयक, 2016 के माध्यम से संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं। उक्त विधेयक में, अन्य बातों के साथ-साथ, नाम आरक्षित करने, ज्ञापन की विषय-वस्तु और निगमन स्तर पर "शपथ-पत्र" की अपेक्षा को "घोषणा" द्वारा प्रतिस्थापित करने के संबंध में निगमन संबंधी प्रावधानों में परिवर्तन करना शामिल हैं। कंपनी (संशोधन) विधेयक, 2016 स्थायी समिति को भेजा गया, जिसने दिनांक 07.12.2016 को संसद में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। कंपनी (संशोधन) विधेयक, 2016 में आवश्यक आधिकारिक संशोधन इस विधेयक को संसद में विचारार्थ रखने से पहले प्रस्तावित किए जाएंगे।

*****